संख्या- 297 /2025 / 2491 /चार-2025-1796678

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2025

विषय:- लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- 1386/उ0प्र0सं0नि0-5(143)/2024-25 दिनांक 19.08.2025 एवं पत्र संख्या- 160/उ0प्र0सं0नि0-5(143)/2024-25 दिनांक 05.06.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 208/2024/808/चार-2024 दिनांक 29.03.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों हेतु रू0 98.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 80.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों की अवशेष धनराशि **रू0 18.24 लाख (रूपये अट्ठारह लाख चौबीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 208/2024/808/चार-2024 दिनांक 29.03.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 18,24,000/- (रूपये अट्ठारह लाख चौबीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या **92** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107- संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42- अन्य व्यय (उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 8, लखनऊ। ई-मेल- pm.unit8@gmail.com
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in